अधिसूचना संख्या 36/2016 [एफ.सं.203/19/2015 /आईटीए-II], दिनांक 27-5-2016

सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संगठन मेसर्स जी.बी. पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, नई दिल्ली (पैन-एएएएजी3515एफ) को आयकर अधिनियम, 1961 (उक्त अधिनियम) की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनार्थ, आयकर नियम, 1962 (उक्त नियम) के नियम 5ग और 5घ के साथ पठित, केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारण वर्ष 2016-2017 से आगे 'वैज्ञानिक अनुसंधान संघ' की श्रेणी में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदित किया गया है, अर्थात्:-

(i) अनुमोदित "वैज्ञानिक अनुसंधान संघ" का एकमात्र उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान करना होगा;
(ii) अनुमोदित संगठन स्वयं वैज्ञानिक अनुसंधान करेगा;
(iii) अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु प्राप्त राशियों के संबंध में पृथक लेखा-पुस्तकें रखेगा, उनमें अनुसंधान हेतु प्रयुक्त राशियों को दर्शाएगा, उक्त अधिनियम की धारा 288 की उप-धारा (2) के स्पष्टीकरण में परिभाषित लेखाकार द्वारा ऐसी पुस्तकों का लेखा-परीक्षण कराएगा और ऐसे लेखाकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं सत्यापित ऐसी लेखा-परीक्षण रिपोर्ट, उक्त अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के अंतर्गत आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि तक, मामले पर अधिकारिता रखने वाले आयकर आयुक्त या आयकर निदेशक को प्रस्तुत करेगा;
(iv) अनुमोदित संगठन सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त दान और प्रयुक्त राशियों का एक पृथक विवरण रखेगा और लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित ऐसे विवरण की एक प्रति ऊपर उल्लिखित लेखा-परीक्षण रिपोर्ट के साथ संलग्न करेगा।
2. केंद्र सरकार अनुमोदन वापस ले लेगी यदि अनुमोदित संगठन-:

(क) अनुच्छेद 1 के उप-अनुच्छेद (iii) में निर्दिष्ट पृथक लेखा-बही रखने में विफल रहता है; या
(ख) अनुच्छेद 1 के उप-अनुच्छेद (iii) में निर्दिष्ट अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या
(ग) अनुच्छेद 1 के उप-अनुच्छेद (iv) में निर्दिष्ट वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त दान और आवेदित राशियों का विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या
(घ) अपनी अनुसंधान गतिविधियाँ जारी रखना बंद कर देता है या उसकी अनुसंधान गतिविधियाँ वास्तविक नहीं पाई जाती हैं; या
(ङ) उक्त अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) के उपबंधों, जिन्हें उक्त नियमों के नियम 5ग और 5घ के साथ पढ़ा जाए, के अनुरूप और उनका अनुपालन करना बंद कर देता है।